एस. पी. गोयल से पहले, जे. महावीर सिंह-याचिकाकर्ता

बनाम

जियान प्रकाश खुराना और अन्य,-प्रतिवादी।

1986 की सिविल मूल अवमानना याचिका संख्या 365. 27 मई, 1987।

औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का XIV)—धारा 17-बी—न्यायालय की अवमानना अधिनियम (1971 का LXX)—धारा 2(बी)—न्यायाधिकरण पूर्ण बकाया वेतन के साथ पुनः बहाली का निर्देश दे रहा है—धारा 11-बी के अधीन बहाली का फैसला रुका हुआ है—नहीं पिछले वेतन के भुगतान पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया गया - नियोक्ता धारा 17-बी के तहत आदेश का अनुपालन कर रहा है, लेकिन पिछले वेतन के पुरस्कार को लागू नहीं कर रहा है - पुरस्कार की सरलता का अनुपालन न करना - क्या यह कार्य न्यायालय की अवमानना के बराबर है।

यह अभिनिर्णीत किया गया कि इस दृष्टिकोण से सहमत होना कठिन है कि न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश का साधारण गैर-अनुपालन निर्णय-देनदार की ओर से अवमानना होगा, अन्यथा इसके प्रवर्तन से संबंधित सभी कानून और प्रक्रियाएं आदेश और आदेश निरर्थक और निरर्थक हो जायेंगे। किसी भी निर्णय की जानबूझकर अवज्ञा के मामले में, निर्णय-देनदार की ओर से निर्णय की अवज्ञा को दर्शाने वाले कुछ सकारात्मक कार्य का आरोप लगाया जाना चाहिए और साबित किया जाना चाहिए। डिक्री पारित करके, न तो न्यायालय निर्णय-देनदार को किसी निर्दिष्ट समय के भीतर इसका पालन करने का कोई निर्देश देता है और न ही वह ऐसा करने का वचन देता है। इसलिए, यह अवमाननाकर्ता का कार्य है जिसके परिणामस्वरूप एक मामले में निर्णय की जानबूझकर अवज्ञा होती है और दूसरे मामले में उपक्रम का जानबूझकर उल्लंघन होता है जो न्यायालय की अवमानना को जन्म दे सकता है और किसी निर्णय, डिक्री या आदेश का गैर-अनुपालन हो सकता है। . जैसा कि माना जाता है कि बकाया वेतन के भुगतान के लिए प्रतिवादी-प्रबंधन द्वारा कभी भी कोई व्यक्त या निहित वचन नहीं दिया गया था, उसके द्वारा पुरस्कार का साधारण गैर-अनुपालन पुरस्कार की जानबूझकर अवज्ञा या न्यायालय की अवमानना के अर्थ में नहीं होगा। न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2(बी).

(पैरा 5 और 7).

अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 11 और 12 के तहत अवमानना याचिका, जिसमें प्रार्थना की गई है कि उत्तरदाताओं को बुलाया जाए और अदालत की अवमानना करने के लिए दंडित किया जाए।

यू. एस. साहनी **याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता**

अशोक भान, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ राकेश गर्ग, अधिवक्ता उत्तरदाताओं **की ओर से**

निर्णय

न्यायमूर्ति एस. पी. गोयल -

याचिकाकर्ता की सेवाओं को प्रतिवादी द्वारा समाप्त कर दिया गया था और औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत एक संदर्भ दिए जाने पर, एक पुरस्कार दिया गया था जिसके तहत समाप्ति आदेश को रद्द कर दिया गया था और उसे पूरे पिछले वेतन के साथ बहाल करने का आदेश दिया गया था। प्रतिवादी ने एक याचिका, सिविल रिट याचिका संख्या 5887, 1986 के माध्यम से इस न्यायालय में फैसले को चुनौती दी, जिसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया और याचिकाकर्ता की बहाली उक्त अधिनियम की धारा 17-बी के प्रावधानों के अधीन रह गई। याचिकाकर्ता द्वारा धारा 17-बी की आवश्यकताओं के अनुसार एक हलफनामा दायर किए जाने और प्रबंधन को दिए गए एक आवेदन के बावजूद, उसके पिछले वेतन का भुगतान नहीं किया गया था। इसलिए, उन्होंने जानबूझकर औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश की अवज्ञा करने के लिए प्रतिवादी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत यह याचिका दायर की है।

(2) प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान में कहा है कि याचिकाकर्ता को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 17-बी के प्रावधानों के अनुसार सभी मौजूदा मजदूरी का भुगतान किया गया है। जहां तक बकाया वेतन का सवाल है, इसमें कोई विवाद नहीं है कि इसका भुगतान नहीं किया गया है, लेकिन दलील यह है कि फैसले को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली गई है, प्रबंधन पर पिछला वेतन देने का कोई दायित्व नहीं है।

(3) पक्षों की दलीलों से यह स्पष्ट है कि तथ्यों पर कोई विवाद नहीं है। फैसले में याचिकाकर्ता को पूरे बकाया वेतन के साथ बहाल करने का आदेश दिया गया। प्रतिवादी द्वारा दायर याचिका पर, याचिकाकर्ता की बहाली को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 17-बी के प्रावधानों के अधीन रोक दिया गया था और पिछले वेतन के भुगतान पर रोक लगाने का कोई आदेश नहीं था। फिर भी सवाल उठता है कि क्या पुरस्कार की सरल शर्तों का अनुपालन न करना अधिनियम की धारा 2(बी) के अर्थ के तहत न्यायालय की अवमानना होगी।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अधिनियम की धारा 2 (बी) में निहित "सिविल अवमानना" की परिभाषा पर भरोसा करते हुए आग्रह किया कि लिखित अनुरोध के बावजूद बकाया वेतन का भुगतान न करने का प्रतिवादी का कृत्य किए जाने के बाद, यह पुरस्कार की जानबूझकर अवज्ञा होगी और इसलिए, उक्त प्रावधान के अर्थ में नागरिक अवमानना होगी। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने जगमोहन लाई बनाम के.आर.अवस्थी मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया। उस मामले में, डिवीजन बेंच को संदर्भित प्रश्न यह था कि क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरण न्यायालय की अवमानना अधिनियम के उद्देश्य से उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय था या नहीं, जिसका उत्तर सकारात्मक था। जाहिर है, उस फैसले का मौजूदा सवाल पर कोई असर नहीं है।

(5) इस दृष्टिकोण पर सहमत होना मुश्किल है कि न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश का सरल गैर-अनुपालन निर्णय देनदार की ओर से अवमानना होगा, अन्यथा प्रवर्तन से संबंधित सभी कानून और प्रक्रियाएं आदेश और आदेश निरर्थक और निरर्थक हो जायेंगे। "सिविल अवमानना" की परिभाषा में विधायिका ने निर्णय और डिक्री आदि और न्यायालय को दिए गए वचन के लिए दो अलग-अलग शब्दों का उपयोग किया है। जहां तक निर्णयों और डिक्री आदि का सवाल है, सिविल अवमानना का अर्थ उनकी जानबूझकर की गई अवज्ञा है, जबकि न्यायालय को दिए गए वचन के मामले में इसका मतलब जानबूझकर किया गया उल्लंघन है। न्यायालय को दिए गए एक वचन के मामले में, यदि संबंधित व्यक्ति इसका सम्मान करने में विफल रहता है, तो यह स्पष्ट रूप से इसके जानबूझकर उल्लंघन के बराबर होगा क्योंकि वह ऐसा कुछ कार्य करने में विफल रहता है या करने से बचता है जिसका उसने अपने वचन पत्र के माध्यम से न्यायालय को वादा किया था। इसलिए, ऐसे मामले में उपक्रम का सम्मान न करने का कृत्य ही नागरिक अवमानना होगा। दूसरी ओर, किसी भी निर्णय की जानबूझकर अवज्ञा के मामले में, निर्णय देनदार की ओर से निर्णय की अवज्ञा को दर्शाने वाले कुछ सकारात्मक कार्य का आरोप लगाया जाना चाहिए और साबित किया जाना चाहिए। डिक्री पारित करके, न तो न्यायालय निर्णय देनदार को किसी भी निर्दिष्ट समय के भीतर इसका पालन करने का कोई निर्देश देता है और न ही वह ऐसा करने का वचन देता है। लेकिन, गैर-अनुपालन के अलावा, यदि उसकी ओर से कोई कार्य निर्णय या डिक्री की अवज्ञा दर्शाता है, तो ऐसा कार्य जानबूझकर और अपमानजनक होने पर नागरिक अवमानना की श्रेणी में आ सकता है। उदाहरण के लिए, एक समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन और उसके कब्जे की डिलीवरी के माध्यम से एक घर के विक्रय विलेख को निष्पादित करने के लिए 'ए' के खिलाफ एक डिक्री पारित की जाती है। डिक्री का पालन करने के बजाय, वह या तो घर को ध्वस्त कर देता है या इसे किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर देता है। इसलिए, वह न केवल डिक्री का पालन करने में विफल रहता है बल्कि अपनी ओर से कुछ प्रत्यक्ष कृत्यों द्वारा इसकी अवज्ञा करता है। ऐसे मामले में यदि उसका कृत्य जानबूझकर किया गया प्रतीत होता है तो उसे नागरिक अवमानना माना जा सकता है।

(6) यह प्रश्न कि क्या डिक्री या आदेश की अवज्ञा नागरिक अवमानना के बराबर है, बाबू राम गुप्ता बनाम सुधीर भसीन और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ नकारात्मक उत्तर दिया गया: -

"तत्काल मामले में, हालांकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपीलकर्ता द्वारा कोई आवेदन नहीं है, न ही कोई हलफनामा और न ही कोई लिखित वचन दिया गया है कि वह रिसीवर के साथ सहयोग करेगा या वह रिसीवर को सिनेमा का कब्ज़ा सौंप देगा। इसके अलावा, सहमति आदेश में भी स्पष्ट या स्पष्ट रूप से यह शामिल नहीं है कि अपीलकर्ता या उसके वकील द्वारा अदालत के समक्ष ऐसा कोई वचन दिया गया था कि वह संपत्ति का कब्जा रिसीवर को सौंप देगा। यदि कर्मचारी प्रथम दृष्टया यह खुलासा करता है कि यह अपीलकर्ता को पारित किया गया था या आक्षेपित आदेश में शामिल कोई वचन दिया गया था, तो यह मानना मुश्किल होगा कि अपीलकर्ता ने जानबूझकर ऐसे वचन की अवज्ञा की या उल्लंघन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने जो किया है वह यह है कि उसने पारित सहमति आदेश को स्वीकार कर लिया जिस पर पार्टियों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी और जिसके द्वारा एक रिसीवर नियुक्त किया गया था, जिसमें आदेश में निहित निर्देशों को पूरा करने के लिए अवमाननाकर्ता द्वारा दिया गया वचन भी शामिल था। सम्मान के साथ, हम उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ हैं। कुछ उदाहरणों से पता चलेगा कि उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण कानून की दृष्टि से कितना अस्थिर है। एक मुकदमे का उदाहरण लें जहां प्रतिवादी रुपये के लिए डिक्री से सहमत है। उसके खिलाफ 10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है और अदालत तदनुसार डिक्री पारित कर सकती है। प्रतिवादी डिक्री का भुगतान नहीं करता है. क्या इन परिस्थितियों में यह कहा जा सकता है कि केवल इसलिए कि प्रतिवादी डिक्रीटल राशि का भुगतान करने में विफल रहा है, वह न्यायालय की अवमानना का दोषी है? उत्तर आवश्यक रूप से नकारात्मक होना चाहिए. एक और उदाहरण लें जहां पार्टियों के बीच एक समझौता हुआ है और विशेष संपत्ति "ए को आवंटित की गई है, उसे बी द्वारा उस पर कब्जा करना होगा। बी इस संपत्ति का कब्जा ए को नहीं देता है। क्या ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि समझौता डिक्री को बी द्वारा लागू नहीं किया गया है, वह अदालत की अवमानना का अपराध करता है? यहां भी उत्तर नकारात्मक होना चाहिए और ए का उपाय यह होगा कि वह बीजे के खिलाफ अदालत की अवमानना के लिए कार्यवाही तैयार करने के लिए प्रार्थना न करे, लेकिन सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत कब्जे की डिलीवरी के वारंट का निर्देश देने के लिए निष्पादन न्यायालय से संपर्क करना। वास्तव में, अगर हम मानते हैं कि समझौता डिक्री या सहमति आदेश का अनुपालन न करना न्यायालय की अवमानना है, तो के प्रावधान डिक्री के निष्पादन से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता का बिल्कुल भी सहारा नहीं लिया जा सकता है। वास्तव में, न्यायालयों को दिए गए स्पष्ट वचन का उल्लंघन न्यायालय की अवमानना है, इसका कारण यह है कि अवमाननाकर्ता

ने न्यायालय में गलत प्रतिनिधित्व किया है। अपने लिए लाभ प्राप्त करता है और यदि वह उपक्रम का सम्मान करने में विफल रहता है, तो वह न्यायालय के साथ गंभीर धोखाधड़ी करता है और इस तरह न्याय के मार्ग में बाधा डालता है और न्यायिक संस्थान को बदनाम करता है। हालाँकि, सहमति आदेश या समझौता डिक्री के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है, जहां धोखाधड़ी, यदि कोई हो, संबंधित व्यक्ति द्वारा अदालत में नहीं बल्कि पार्टियों में से किसी एक द्वारा की जाती है। इस प्रकार, संबंधित व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध पक्ष के लिए है न कि न्यायालय के लिए, और इसलिए, ऐसे मामलों में न्यायालय की अवमानना के लिए कार्यवाही की नींव पूरी तरह से अनुपस्थित है। इन परिस्थितियों में, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि जब तक अवमाननाकर्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष लिखित में कोई स्पष्ट वचन नहीं दिया जाता है या न्यायालय द्वारा अपने आदेश में शामिल नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे वचन की जानबूझकर अवज्ञा करने का कोई सवाल नहीं हो सकता है। मौजूदा मामले में, हमने पहले ही माना है कि अपीलकर्ता द्वारा न तो कोई लिखित उपक्रम दायर किया गया है और न ही ऐसा कोई उपक्रम निहित या स्पष्ट रूप से लागू आदेश में शामिल किया गया था। इस प्रकार, कोई उपक्रम नहीं होने के कारण ऐसे उपक्रम के उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उठता है।"

(7) अवमाननाकर्ता जिसके परिणामस्वरूप एक मामले में निर्णय की जानबूझकर अवज्ञा हो सकती है और दूसरे में उपक्रम का जानबूझकर उल्लंघन हो सकता है जो न्यायालय की अवमानना को जन्म दे सकता है और किसी निर्णय, डिक्री या आदेश का गैर-अनुपालन कर सकता है। जैसा कि माना जाता है कि पिछले वेतन के भुगतान के लिए प्रतिवादी द्वारा कभी भी कोई व्यक्त या निहित वचन नहीं दिया गया था, उसके द्वारा पुरस्कार के साथ साधारण गैर-अनुपालन पुरस्कार की जानबूझकर अवज्ञा या न्यायालय की अवमानना नहीं होगी। इसलिए, यह याचिका विफल होनी चाहिए और जारी किया गया नियम तदनुसार खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

□□□□□□□□ □□:

□□□□□□□□ □□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□